

GAZETTE OF INDIA (EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

.....
NEW DELHI, THE

21.3.1998

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. In exercise of the powers conferred by section 118 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Central Board of Direct Taxes number S.O. 359(E) dated 31st March, 1988, namely :-

In the said notification, -

(a) for the clause (c), the following clause shall be substituted, namely :-

"(c) Additional Directors or Additional Commissioners or Additional Commissioners (Appeals) or Deputy Directors or Deputy Commissioners or Deputy Commissioners (Appeals) shall be subordinate to the Directors or Commissioners within whose jurisdiction they perform their functions or other income-tax authority under whom they are appointed to work and to any other income-tax authority to whom the Director or the Commissioner, as the case may be, or other income-tax authority is subordinate;"

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :-

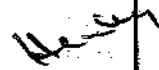
"(d) Assistant Directors or Assistant Commissioners shall be subordinate to Additional Directors or Additional Commissioners or Deputy Directors or Deputy Commissioners within whose jurisdiction they perform their functions or other income-tax authority under whom they are appointed to work and to any other income-tax authority to whom the Deputy Director or the Deputy Commissioner, as the case may be, or other income-tax authority, is subordinate;"

.....2/.....

(c) for the proviso occurring after clause (g), the following proviso shall be substituted, namely :-

"Provided that nothing in this notification shall have the effect of :-

- (a) requiring any income-tax authority to make a particular assessment or to dispose of a particular case in a particular manner; or
- (b) interfering with the discretion of the Commissioner (Appeals) or Additional Commissioner (Appeals) or Deputy Commissioner (Appeal)."


(M.K. CHOUDHARY)
UNDER SECRETARY TO THE CENTRAL BOARD
OF DIRECT TAXES.

(F.No.167/3/95-ITA-1)

Notification No. 10028

to

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च, 1998

अधिसूचना

आयकर

आ0आ0 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पत्रकार भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अधिसूचना सं0 आ0आ0 359 का दिनांक 30 मार्च 1988 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) सेड 111 के लिए निम्नलिखित सेड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(क) अगर निदेशक अथवा अगर आयुक्त अथवा अगर आयुक्त (जीन) अथवा उप निदेशक अथवा उपायुक्त अथवा उपायुक्त (जीन) ऐसे निदेशकों अथवा आयुक्तों के अधीन होंगे, जिन्हें केन्द्राधिकार में वे अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं अथवा ऐसे अन्य आयकर प्राधिकारी के अधीन होंगे, जिन्हें अधिन उन्हीं कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है और ऐसे किसी अन्य आयकर प्राधिकार के अधीन होंगे, जिन्हें अधिन निदेशक अथवा आयुक्त हों, जैसा भी मामला हो, अथवा अन्य आयकर प्राधिकारी होते हैं;"
- (ख) सेड 112 के लिए निम्नलिखित सेड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(ख) सहायक निदेशक अथवा सहायक आयुक्त ऐसे अगर निदेशकों अथवा अगर आयुक्तों अथवा उप निदेशकों अथवा उपायुक्तों के अधीन होंगे जिन्हें केन्द्राधिकार में वे अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं अथवा ऐसे किसी अन्य आयकर प्राधिकार के अधीन होंगे, जिन्हें अधिन उन्हीं कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है

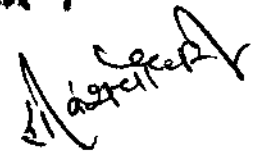
और ऐसे किसी अन्य अधिकारी के अधीन होंगे, जिसे
अधीन उप निर्देशक कक्षा उपायुक्त, जैसा भी मागता हो अथवा
अन्य अधिकारी होते हैं।”

[ग] संकल्प के बाद जाने वाले परन्तु के स्थान पर निम्नलिखित परन्तु
प्रातिष्ठापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस अधिवचना में किसी भी बात का यह प्रभाव नहीं होगा कि:-

[क] और भी अधिक प्राधिकारी किसी विनिर्दिष्ट कर निर्धारित अथवा
किसी विनिर्दिष्ट तरीके से किसी विनिर्दिष्ट माफ़ी का निर्दान
करे; अथवा

[ख] आयुक्त/अधीन कक्षा और आयुक्त/अधीन कक्षा उपायुक्त
/अधीन के विवेकाधिकार में हस्तान्तरण करे।”



[एच.के.चाव्हारी]

कार सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिवचना सं० 10028 [फा० सं० 187/1/93-आयकर नि०-1]

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुख्यालय,

पिन रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

[राजपुरी मार्केट के निकट]

वाई दिल्ली।